

कार्यकारी सारांश

रेती उत्खननाच्या पर्यावरणीय व्यवस्थापन आराखड्याचा मसुदा

जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र राज्य

(नांदेड जिल्ह्यातील प्रस्तावित ३९ रेती घाटांच्या पर्यावरणीय
जनसुनावणीकरिता)

प्रकल्प प्रवर्तक

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड

पर्यावरण सल्लागार

एन्व्हायरो टेकनो कंसल्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
६८, महाकाली नगर -२
मानेवाडा चौकाजवळ,
नागपूर ४४००२४.

एप्रिल २०२०

१.० प्रस्तावना

मा. जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी रेती/वाळू निर्गमीतीचे धोरण दि. ०३.०९.२०१९ अनुसार ३९ रेती घाट उत्खननासाठी प्रस्तावित केलेले असून जिल्हा खनिकर्म अधिकारी नांदेड यांना विविध अनुमती घेणेकरिता प्रकल्प प्रवर्तक म्हणून नेमलेले आहे.

सदर ३९ रेती घाट तालुकास्तरावर मा. तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या व भुवैद्यन्यायिक, म. प्र.नि.म.यांचे प्रतिनिधी, जलसंधारण विभागाचे प्रतिनिधी असलेल्या तालुका तांत्रिक समिती द्वारे ओपन कास्ट पद्धतीने घेलेले, पावडे यांच्या साहाय्याने उत्खनन करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे.

पर्यावरण अनुमतीसाठी प्रस्तावित ३९ रेती घाटांची यादी खालील प्रमाणे आहे.

प्रस्तावित ३९ रेती घाटांची यादी खालील प्रमाणे आहे.

| अ.क्र. | तालुका | रेती घाट | जवळील गट न. | नदी/नाला | घाटाची ला. * रु. * खोली मी ^३ | क्षेत्र हे. मध्ये | खोली (मी) | रेती ब्रास मध्ये | हौलेज लांबी (मी) | हौलेज रुंदी (मी) | नदी किनारा झाड वृक्षारोपण | हौलेज रोड वृक्षारोपण | पर्यावरण व्यवस्थापन अंदाजे खर्च रु. मध्ये |
|--------|-----------|--------------|--|----------|---|-------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---|
| 1 | हिमायतनगर | कामारी | 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 | लाकडी | 180x25x0.50 | 0.45 | 2.50 | 795 | 1430 | 3 | 40 | 570 | 769000 |
| 2 | देगलूर | शेवाला १ | 354, 355, 356 | मांजरा | 314x150x0.50 | 4.71 | 2.50 | 8322 | 1380 | 3 | 70 | 275 | 868500 |
| 3 | देगलूर | शेवाला २ | 357, 358, 90 | मांजरा | 316x140x0.50 | 4.42 | 2.50 | 7816 | 700 | 3 | 70 | 275 | 868500 |
| 4 | देगलूर | शेवाला ३ | 93, 130, 131, 352 | मांजरा | 301x150x0.50 | 4.52 | 2.50 | 7977 | 470 | 3 | 70 | 200 | 831000 |
| 5 | देगलूर | शेकापूर | 21, 22, 23, 27, 146, 147 | मांजरा | 424x90x0.50 | 3.82 | 2.50 | 6742 | 1860 | 3 | 85 | 220 | 742000 |
| 6 | देगलूर | तामलुर | 222, 226, 257, 258, 303, 309 | लेंडी | 801x50x0.50 | 4.01 | 2.50 | 7076 | 1870 | 3 | 160 | 750 | 1140000 |
| 7 | देगलूर | शेलगाव १ | 231, 232 | मांजरा | 346x142x0.50 | 4.91 | 2.50 | 8681 | 1860 | 3 | 70 | 290 | 881500 |
| 8 | देगलूर | शेलगाव २ | 177, 178, 179, 180 | मांजरा | 383x120x0.50 | 4.60 | 2.50 | 8120 | 1800 | 3 | 80 | 360 | 910500 |
| 9 | देगलूर | शेलगाव ४ | 134, 135, 136 | मांजरा | 505x53x0.50 | 2.68 | 2.50 | 4729 | 1600 | 3 | 100 | 320 | 847500 |
| 10 | देगलूर | सांगवी उमर | 25, 26, 27, 28, 38, 142, 143 | Lendi | 452x60x0.50 | 2.71 | 2.50 | 4792 | 610 | 3 | 90 | 250 | 703000 |
| 11 | बिलोली | सगरोळी १ | 358, 359, 360, 361, 362 | मांजरा | 460x100x0.70 | 4.60 | 2.70 | 11378 | 600 | 3 | 90 | 250 | 899000 |
| 12 | बिलोली | सगरोळी २ | 451, 457, 459, 460 | मांजरा | 490x60x0.70 | 2.94 | 2.70 | 7272 | 230 | 3 | 100 | 250 | 735000 |
| 13 | बिलोली | येसगी १ | 176, 229, 230 | मांजरा | 290x160x0.90 | 4.64 | 2.90 | 14756 | 570 | 3 | 60 | 225 | 915500 |
| 14 | बिलोली | येसगी २ | 231 | मांजरा | 150x305x0.75 | 4.58 | 2.75 | 12125 | 930 | 3 | 50 | 370 | 950000 |
| 15 | बिलोली | येसगी ३ | 231, 232 | मांजरा | 150x310x0.75 | 4.65 | 2.75 | 12323 | 820 | 3 | 60 | 330 | 915000 |
| 16 | बिलोली | बोलेगाव १ | 288, 289 | मांजरा | 340x130x0.60 | 4.42 | 2.60 | 9371 | 330 | 3 | 70 | 130 | 672000 |
| 17 | बिलोली | बोलेगाव २ | 320 | मांजरा | 220x200x0.60 | 4.40 | 2.60 | 9329 | 330 | 3 | 50 | 180 | 687000 |
| 18 | बिलोली | बोलेगाव ३ | 320 पश्चिम बाजु | मांजरा | 270x135x0.60 | 3.65 | 2.60 | 7728 | 450 | 3 | 90 | 180 | 695000 |
| 19 | बिलोली | गंजगाव १ | 213, 239, 240 | मांजरा | 350x130x0.80 | 4.55 | 2.80 | 12862 | 690 | 3 | 70 | 280 | 835000 |
| 20 | बिलोली | गंजगाव २ | 280, 281, 282, 283, 297, 299 | मांजरा | 390x125x0.70 | 4.88 | 2.70 | 12058 | 590 | 3 | 82 | 240 | 804500 |
| 21 | बिलोली | गंजगाव ३ | 325, 326, 354 | मांजरा | 490x100x0.80 | 4.90 | 2.75 | 13852 | 640 | 3 | 100 | 260 | 826500 |
| 22 | बिलोली | गंजगाव ४ | 357, 358 | मांजरा | 272x158x0.75 | 4.30 | 2.75 | 11389 | 620 | 3 | 55 | 250 | 781500 |
| 23 | बिलोली | कार्ला बु. १ | 147, 161 | मांजरा | 340x144x0.50 | 4.90 | 2.50 | 8650 | 770 | 3 | 68 | 310 | 865000 |
| 24 | बिलोली | कार्ला बु. २ | 53, 54, 55, 57, 58 | मांजरा | 310x110x0.60 | 3.41 | 2.60 | 7230 | 830 | 3 | 62 | 330 | 805000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|------|------|---------|---------|---|-------|--------|--------|
| 25 | बिलोली | कार्ला बु. ३ | 96, 97, 98, 100, 101 | मांजरा | 400x65x0.40 | 2.60 | 2.40 | 3675 | 540 | 3 | 80 | 220 | 640000 |
| 26 | बिलोली | माचनुर १ | 14 | मांजरा | 250x170x0.70 | 4.25 | 2.70 | 10512 | 770 | 3 | 50 | 310 | 710000 |
| 27 | बिलोली | माचनुर २ | 15 | मांजरा | 270x170x0.70 | 4.59 | 2.70 | 11353 | 530 | 3 | 55 | 210 | 745000 |
| 28 | बिलोली | माचनुर ३ | 30, 31, 32, 51 | मांजरा | 290x170x0.70 | 4.93 | 2.70 | 12194 | 550 | 3 | 60 | 220 | 787500 |
| 29 | बिलोली | माचनुर ४ | 51, 52 | मांजरा | 275x175x0.70 | 4.81 | 2.70 | 11904 | 530 | 3 | 55 | 210 | 825000 |
| 30 | बिलोली | नागणी | 121, 122 | मांजरा | 200x210x0.70 | 4.20 | 2.70 | 10389 | 360 | 3 | 40 | 150 | 715000 |
| 31 | बिलोली | हुंगुन्डा | 201, 202 | मांजरा | 295x150x0.60 | 4.43 | 2.60 | 9382 | 750 | 3 | 60 | 330 | 855000 |
| 32 | माहूर | टाकली | 7, 8, 9, 83, 84, 85, 86, 87 | पैनगंगा | 250x50x0.50 | 1.25 | 2.50 | 2208 | 420 | 3 | 50 | 170 | 545000 |
| 33 | माहूर | सायफल | 3 | पैनगंगा | 300x35x0.75 | 1.05 | 2.75 | 2783 | 570 | 3 | 60 | 230 | 535000 |
| 34 | माहूर | नेर | 7, 8 | पैनगंगा | 150x50x0.50 | 0.75 | 2.50 | 1325 | 910 | 3 | 30 | 365 | 487000 |
| 35 | माहूर | पडसा | 225, 226, 229, 230, 231 | पैनगंगा | 300x35x0.50 | 1.05 | 2.50 | 1855 | 930 | 3 | 60 | 370 | 475000 |
| 36 | माहूर | दिगडी खु. | 58, 58a, 58aa | पैनगंगा | 150x50x0.50 | 0.75 | 2.50 | 1325 | 1100 | 3 | 30 | 440 | 455000 |
| 37 | माहूर | लांजी | 15, 16, 17, 78, 79 | पैनगंगा | 250x50x0.50 | 1.25 | 2.50 | 2208 | 360 | 3 | 50 | 144 | 565000 |
| 38 | हादगाव | मनूला बु. | 308, 309, 310, 311 | पैनगंगा | 200x10x0.50 | 0.20 | 2.50 | 353 | 730 | 3 | 40 | 300 | 391000 |
| 39 | किनवट | खांबाला | 5, 7, 8, 11 | पैनगंगा | 275x25x0.50 | 0.69 | 2.50 | 1215.00 | 1790.00 | 3 | 55.00 | 700.00 | 460000 |

- रेतीघाटांसाठी प्राप्त आवश्यक अनुमती/परवानग्या व गोषवारा.

| | |
|-----------------------------------|--|
| प्रकल्प प्रवर्तक | जिल्हा खनिकर्म अधिकारी नांदेड. |
| प्रकल्प स्थिती | नवीन, प्रस्तावित रेती घाट |
| उत्खनन करावयाचे खनिज | रेती/वाळू (बांधकाम योग्य) |
| रेतीघाट प्रस्तावित करणारी समिती | मा. तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या व भुवैद्यन्यायिक, म.प्र.नि.म. यांचे प्रतिनिधी, जलसंधारण विभागाचे प्रतिनिधी असलेल्या तालुका तांत्रिक समिती |
| ग्रामपंचायत ना हरकत | ग्रामपंचायतींकडून वाळू निर्गमीतीच्या धोरणानुसार प्राप्त |
| उत्खननाकरिता ठरवून दिलेला कालावधी | दि. १० जुन ते ३० सप्टेंबर पर्यंतचा मानसून कालावधी वगळता जास्तीत जास्त १ वर्ष. |

- प्रस्तावित उत्खनन पद्धत :

रेती उत्खनन टोपले, पावडे द्वारे मजुरांकरवी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

अ. मातीचे ढिगारा किंवा मातीचे उत्खनन करता येणार नाही.

ब. रेती उत्खनन टोपले, पावडे द्वारे मजुरांकरवी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

क. उचललेली रेती ट्रॅक्टर द्वारे वाहण्याचे प्रस्तावित आहे.

ड. ट्रॅक्टर वगळता कोणतीही अवजड व यांत्रिक मशीनरी उपयोगात आणता येणार नाही.

इ. उत्खननाकरिता ठरवून दिलेला कालावधी हा दि. १० जुन ते ३० सप्टेंबर पर्यंतचा मानसून कालावधी वगळता जास्तीत जास्त १ वर्षाकरिता प्रस्तावित आहे.

● वायू प्रदूषण उपाय योजना

| अ. क्र | प्रदूषणाचे स्रोत | अपेक्षित परिणाम | व्यवस्थापन योजना |
|--------|---------------------------------|--|---|
| १ | ट्रान्सपोर्ट रोड/रेती वहन मार्ग | हवा गुणवत्ता /जमिन रास्ता मजबूती रस्त्याचा न्हास | <ul style="list-style-type: none"> ●वहन मार्गाचे मजबूती करण ● वहन मार्गाची देखभाल ● ट्रॅक्टर मध्ये मान्यताप्राप्त क्षमतेनुसार खनिज वहन ● उत्खनन कालावधी दरम्यान हवा दर्जा तपासणी |
| २ | ट्रक/ट्रॅक्टर यांचे चलन | हवा दर्जा /गुणवत्ता | <ul style="list-style-type: none"> ●मान्यता प्राप्त क्षमते पेक्षा ट्रॅक्टर मध्ये खनिज न भरणे ●रेती वाहन करणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीज टरपोलिन ने वहन दरम्यान झाकणे. ●वाहनांना गती नियंत्रक बसविणे. ●रेती घाटावर रेती ट्रॅक्टर मध्ये भरताना इंजिन बंद ठेवणे. |
| ३ | रेती घाट व रेती घाट मार्ग | उत्खनन प्रक्रिया | <ul style="list-style-type: none"> ● रेतीघाट होलेज मार्गाची वारंवार दुरुस्ती व देखभाल ●कामगारांना डस्ट मास्क देणे. ● रेती उत्खनन व वहन दिवसाचं करणे |
| ४ | नदी किनाऱ्याचे व्यवस्थापन | नदी किनाऱ्याची झीज पूर रेषा व्यवस्थापन | <ul style="list-style-type: none"> ● नदी किनाऱ्यावर झाडे लावणे ● नदी किनाऱ्याच्या उतारावर हिरवळ(ग्रास) लावणे |

● व्यवसाय, आरोग्य व सेवा योजना

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| १ | धूळ कन श्वसन विषयी व्यवसाय सुरक्षितता, आरोग्य व सेवा योजना | कामगारांची सुरक्षितता व उत्खनन | ●कामगारांसाठी पर्यावरण पूरक व सुरक्षित वातावरण तयार करणे. ●असे वातावरण व उपाययोजना अंमल बजावणीसाठी मान्यता प्राप्त निविदाधारक/ठेकेदार उपाययोजना करेल. ●कामगारांना वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे प्रदान करण्याचे प्रस्तावित आहे. ●कामगारांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्याचे प्रस्तावित आहे. ●प्रथोमपचार पेटी, पिण्या योग्य पाणी ,तात्पुरत्या निवार्याची सोय करण्याचे प्रस्तावित |
|---|---|-----------------------------------|---|

● ध्वनी प्रदूषण

- कामगारांना कांन बुचे देण्याचे प्रस्तावित आहे
- ट्रॅक्टर/ट्रक व्यतिरिक्त कोणत्याही ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या मशीनरी प्रतिबंधित आहेत.
- ट्रॅक्टर चे एंजिने रेतीघाटावर रेती भरते वेळेस बंद ठेवण्यात येईल
- कामगारांची आरोग्य विषयक तपासणी करण्यात येईल.
- कामगारांना व अभ्यंगताना वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे देण्यात येईल.

●वाहतूक व्यवस्थापन

- खनिज वाहतूक करणारे वाहन फॉरेस्ट व महसूल विभागाकडे नोंदणीकृत करणे प्रस्तावित आहे.
- अश्या सर्व वाहनाकडे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असण्याचे बंधनकारक असेल.
- अशी सर्व वाहने ध्वनी उत्सर्जन व धूळ/इतर उत्सर्जन संबंधी मानक द्वारे उच्च प्रतीच्या देखभाली खाली प्रमाणित असतील.
- असे सर्व वाहनचालक वाहतुकीसंबंधी नियमांचे पालन करण्यास बध्य असतील.
- अश्या सर्व वाहनांची गती नियंत्रित केलेली असेल.
- क्षमतेपेक्षा जास्त खनिजाचे वाहन करता येणार नाही.
- खनिज वाहन करणाऱ्या वाहनांचे खनिज टरपोलिन ने झाकण्याचे प्रस्तावित आहे.
- इतर रेती ठेकेदारांसोबत समनव्यय साधून रेतीचे वाहन करण्याचे प्रस्तावित आहे जेणेकरून वाहतुकीचा खोळंबा होणार नाही.

●वृक्षारोपण योजना

- मान्सून दरम्यान (दि. १० जून ते ३० सप्टेंबर) नदी किनाऱ्यावर व वाहन मार्गावर झाडे लावण्याचे प्रस्तावित आहे.
- नीम, पिंपळ, करंज, गुलमोहर अशी स्थानिक झाडे लावण्याचे प्रस्तावित आहे.
- मान्य निविदाधारक/रेती ठेकेदार ह्या पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेचे टेबल करा. १ अनुसार दिलेल्या व्यवस्थापन अंदाजानुसार क्रियान्वयन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

- मान्य निविदाधारक /रेती ठेकेदार सादर पर्यावरण व्यवस्थापन योजना क्रियान्वयनाचा अनुपालन अहवाल जिल्हा खनिकर्म अधिकारी , तत्सम तहसीलदार यांना सादर करेल.
- जिल्हा खनिकर्म अधिकारी/तत्सम तहसीलदार हा पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेच्या क्रियान्वयनाची वेळोवेळी खात्री करतील व मा. जिल्हा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल वाळू निर्गमिती च्या धोरण मध्ये सुचविल्याप्रमाणे सादर करतील.